रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936
No.149] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015 MAGHA 2, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2015

का.आ. 215(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राजस्थान राज्य में रेवाडी (हरियाणा) से कानपुर (उत्तर प्रदेश) तक पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड़ द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री शिवदत्त गौड़, सक्षम प्राधिकारी, रेवाडी – कानपुर पाइपलाइन परियोजना, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड़, 31, गीता कालोनी, एम.एस.जे. कालेज के पास, अछनेरा रोड़, भरतपुर (राजस्थान) पिन – 321001 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तहसील : भरतपुर		जिला : भरतपुर			राज्य : राजस्थान
क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	तमरौली	234	00	10	00

[फा. सं. आर- 31015/33/2012-ओआर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2015

S.O. 215(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Rewari (Haryana) to Kanpur (Uttar Pradesh), a pipeline should be laid in State of Rajasthan by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri Shivdutt Gaur, Competent Authority, Rewari – Kanpur Pipeline Project, Hindustan Petroleum Corporation Limited, 31, Geeta Colony, Near M.S.J. College, Achhanera road, Bharatpur (Rajasthan) Pin – 321001

SCHEDULE

Tehsil : Bharatpur		**District : Bharatpur**			**State : Rajasthan**
Sr.No.	**Name of Village**	**Khasara No.**	**Area**		
			Hectare	**Are**	**Square Meter**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**Tamrauli**	**234**	**00**	**10**	**00**

[F. No. R- 31015/33/2012-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.